

**मांग संख्या 79**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 1 से 4**

जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की योजना में मजदूरी तथा यात्रा भत्ता के व्यय हेतु रूपये 100 के मान से कुल 400 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

रि-ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण पर रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।